फर्द अहकाम

सवित्री देवी वगै0 बनाम रामप्रसाद वगै0

वा संख्या: 284/2024

या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	16.10.2024	वकील वादी ने दावा बावत् स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया रिपोर्ट सरिश्ता तलब हो चुकी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलवी प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर 07.11.22024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	नोटिस जारी 7305-7309 18/10/24
	7/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० प्रतिवादीगण 1 ला० 4 की ओर से श्री [illegible] एड० ने वकालतनामा पेश किया। [illegible] वकील प्रतिवादीगण की दावा पर [illegible] (सुनी गई) वादी का वाद स्वीकार किया जाता। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली नियमानुसार [illegible] दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सांगानेर जयपुर (द्वितीय)	[illegible] 2113/2024

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.05.22 14:43:17 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

सावित्री देवी बनाम रामप्रसाद व अन्य

वाद संख्या: 284 / 2024

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
07.11.2024	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित। पत्रावली में बहस उपस्थित अधिवक्ता सुनी गई। दौराने बहस वादीगण अधिवक्ता ने वाद मे अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि प्रार्थीया के खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 720 की पत्थरगढी स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित नही हो जाते है तब तक अप्रार्थी संख्या 1 रामप्रसाद खसरा नम्बर 719 व 720 की सीमा जोड पर कोई पक्का मकान का निर्माण कार्य नही करे तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 रामप्रसाद व रामनिवास खसरा नम्बर 720/1 व 720 की सीमा जोड पर गड्डे में कोई गन्दा पानी नही भरे। बहस वादीगण एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिये जाते है कि वाके ग्राम ग्वार ब्राहम्णान पटवार हल्का खेडीगोकुलपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बरान् 719, 720, 720/1 का तहसीलदार सांगानेर की सीमाज्ञान एवं फर्द रिपोर्ट दिनांक 06.11.2024 के अनुसार सभी उभयपक्षकारान की उपस्थिति में सीमाचिन्ह कायम करे एवं उक्त सीमाचिन्ह के आधार पर पत्थरगढी कायम करे। पत्थरगढी एवं सीमाचिन्ह होने के पश्चात् प्रतिवादीगण वादी की भूमि में दखल नही दे, पावन्द किया जाता है। सीमाचिन्ह एवं पत्थरगढी होने तक उभयपक्षकारान जिस सीमा का विवाद है उक्त खसरा नम्बरान् के मौके की यथास्थिति बनाये रखे। उक्त आदेश के पूर्व के आदेश की पालना तहसीलदार सांगानेर करावे। निर्णय आज दिनांक 07.11.2024 को सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Himmat Singh Date: 2025.05.22 14:43:17 IST Reason: SelfAttested (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी जयपुर–द्वितीय (साँगानेर), जयपुर	